(145)

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

R 462-I/17

प्र0क्र0 सन् 2017

प्रेमनारायण तनय मुरलीधर अवस्थी
निवासी अचट्ट तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)........ आवेदक

बनाम

मुन्नालाल तनय सुनता चढ़ार
निवासी अचट्ट तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)..... अनावेदक

निगरानी व नाराजगी प्र.क्र. 45/अ-12/2014-15 मुन्ना चढ़ार बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक 15/06/15 आज्ञा नायब तहसीलदार महो. क्षेत्र महेबा निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959

19/11/17

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–462–एक/2017 जिला–छतरपुर

प्रेमनारायण विरूद्ध मुन्नालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार क्षेत्र महेबा, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 45/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	